

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2024/472 दिनांक 08/5/2024
आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हें देय एसीपी निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रीमती	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पे मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक एवं पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	गायत्री जैन, तकनीकी सहायक, सीएचसी माण्डलढ जि. भीलवाडा	19.02.1995	19.02.2022 27वर्षीय	एल-11	एल-12
2.	बिरमा राम, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय मकराना जि.नागौर	08.11.1995	08.11.2022 27वर्षीय	एल-11	एल-12

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक 08/5/2024

- क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2024/472
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर/भीलवाडा।
 - प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय मकराना जि.नागौर।
 - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डलढ जि. भीलवाडा।
 - संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी।
 - प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड वास्तें।
 - आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6435014

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :02-05-2024 04:40:13